न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या GCMS No 2023/53
दायरा तिथि : 20-03-23
फैसला तिथि : 05-04-23
प्रार्थी:–

श्री नरेशनाथ बाल योगी मुख्य व्यवस्थापक
आदेश सेवा संस्था गोरक्षनाथ दांतीवाडा तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. सरपंच ग्राम पंचायत, भीटवाडा
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति:–

1. श्री अमृत परिहार .....अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री ललित कुमार नायब तहसीलदार.....पेरोकार सरकार

–:: आदेश ::– दिनांक 05-04-2023

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी श्री नरेशनाथ बालयोगी मुख्य संस्थापक आदेश सेवा संस्था गोरक्षनाथ दांतीवाडा ने प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम दांतीवाडा के खसरा नंबर 547/4 की भूमि जिसमें मौके पर आश्रम में शिव मंदिर यात्रियो की सुविधा के लिये धर्म शाला, गौशाला गायो के लिये घास गोदाम निर्मित है, उक्त 5.00 हैक्टर भूमि को गोचर से विलोपित कर खसरा नंबर 547 में मिलाते हुये गै.मु. पहाड दर्ज करने तथा खसरा नंबर 547 गै.मु. पहाड मेंसे इतनी ही अर्थात् 5.00 हैक्टर भूमि अदला बदली के माध्यम से गोचर दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत होने से तहसीलदार, बाली की जांच के साथ इस कार्यालय द्वारा जिला कलेक्टर महोदय पाली को प्रतिवेदन भिजवाया गया। श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, पाली ने अपने पत्रांक एफ.12(3) ( ) राजस्व/2023/521 दिनांक 10.02.2023 से राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के पत्रांक/राम/DILRMP/ प–126/2021/3685 दिनांक 06.10.20221 के पत्र की प्रति भिजवाते हुये वर्णित दिशा निर्देशो के अनुसरण में प्रकरण में विधिक प्रावधानो के तहत परीक्षण करते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये गये। जिसकी पालना में प्रकरण राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत संस्थापित कर प्रार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु सूचित किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत परिहार द्वारा प्रकरण में उपस्थिति दर्ज करवाते हुये प्रकरण में बहस के लिये समय चाहा। जिस पर समय अवसर दिया गया। श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, पाली ने अपने पत्रांक एफ. 12(3) () राजस्व/2023/944–963 दिनांक 17.03.2023 से राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के प्रकरणो में निर्णिय पारित करते समय 136 की गलत व्याख्या न हो, इस हेतु निर्देश पारित किये। तथा निर्देशो में स्पष्ट किया गया कि **धारा 136 केवल मात्र राजस्व अभिलेख में लिपिकीय त्रुटिया(जो रिकार्ड से प्रमाणित हो) के सुधार को अनुमत करता है। राजस्व रिकार्ड में धारा 136 के अंतर्गत नये रास्ते दर्ज करना, खसरो की स्थिति में परिवर्तन करना, भूमि किस्म परिवर्तन करना या ऐसी कोई भी प्रविष्टि करना, जो स्पष्ट रूप से लिपिकीय त्रुटी की श्रेणी धारा 136 के प्रावधानो में नहीं आती है वह पुर्णतः अवैधानिक कार्यवाही की श्रेणी में आता है।**

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन के पश्चात वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी श्री अमृत परिहार ने बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से तरमीम खसरा नंबर 547/1 क्षेत्रफल 42.68 हैक्टर की बजाय 547/4 रकबा 77.07 हैक्टर को राजस्व नक्शा में मौका स्थिति के विपरीत तरमीम किया है तथा खसरा नंबर 547 किस्म गैर मुमकिन मगरा की भूमि जिसमें खसरा नंबर 547/1 के तरमीम से पूर्व 5.00 हैक्टर भूमि पर संत श्री नरेशनाथ जी का आश्रम, गौशाला, शिवजी का मंदिर, भोजनशाला, पानी की टंकी, गोरखनाथ जी का मंदिर, धर्मशाला, कबूतरों का चबूतरा, सुलभ कॉम्पलेक्स, पानी का हौज, घास गोदाम बने हुये है। परंतु राजस्व कर्मचारियों द्वारा आपाधापी में की गई तरमीम के तहत खसरा नंबर 547/4 के भू–भाग में संत श्री नरेशनाथ जी के आश्रम के कब्जे नियंत्रण की 5 हैक्टेयर भूमि को भी तरमीम में सम्मिलित कर दिया। जबकि उक्त भूमि कभी भी गोचर के रूप में उपयोग में नहीं ली गई। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों द्वारा नक्शे में की गई गलत तरमीम को दुरस्त करने के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को निहीत होने से खसरा नंबर 547/4 में से संत श्री नरेशनाथ जी के आश्रम के कब्जे नियंत्रण की
5.00 हैक्टेयर भूमि को गोचर से विलोपित कर खसरा नंबर 547 में सम्मिलित करते हुये नक्शे में शुद्धि के आदेश जारी किये जाने की दलील दी गई। बहस के दौरान विद्वान वकील प्रार्थी श्री अमृत परिहार

पेज लगातार 02

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज

राजस्व विविध प्रकरण Gcms No. 2023/

अनवान श्री नरेशनाथ बाल योगी मुख्य व्यवस्थापक बनाम सरपंच ग्राम पंचायत भीटवाडा वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

द्वारा माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा अपील संख्या Appeal LR No. 6515/Bharatpur of 2007 बअनवान Chhiddi & Ors. V/S Bhikkan & Ors. में दिनांक 13.11.2017 को पारित निर्णय की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर नक्शे में तरमीम शुद्धि के आदेश दिये जाने की दलील दी। विद्वान वकील प्रार्थी की दलीलों का खण्डन करते हुये अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा दलील दी गई कि उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया इन्द्राज दुरस्ती का प्रकरण बनता ही नहीं है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से ग्राम दांतीवाडा स्थित भूमि खसरा नंबर 547/4 किस्म गैर मुमकिन गोचर की किस्म परिवर्तन करना चाहते है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में गोचर किस्म की भूमि प्रतिबंधित है। जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने की दलील दी।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हैं कि प्रार्थी के आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों एवं प्रस्तुत अभिलेखो व इस सबंध में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार :–

1. कि उपखण्ड अधिकारी बाली के आदेश दिनांक 4.06.1989 के द्वारा ग्राम दांतीवाडा के खसरा नंबर 547 किस्म गै.मु. भाखर रकबा 176.95 हैक्टर मेंसे 82.68 हैक्टर भूमि गोचर दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये। जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 70 दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया। परन्तु खसरा नंबर 547 के बटा नंबर की तरमीम तत्समय राजस्व नक्शा में नहीं की गई, तथा न ही नामान्तरकरण संख्या 70 की पुस्त पर इसका कोई नजरी नक्शा बनाया गया।
2. कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार दांतीवाडा के खसरा नंबर 547 रकबा 91.65 हैक्टर की किस्म गै.मु. मगरा तथा खसरा नंबर 547/1 रकबा 5.61 हैक्टर गै.मु. पहाड तथा खसरा नंबर 547/4 रकबा 77.07 हैक्टर गोचर दर्ज है। खसरा नंबर 547/2 रकबा 0.70 हैक्टर किस्म बारानी दोयम निजी खातेदार गंगासिंह पुत्र शेरसिंह वगैरा के नाम तथा खसरा नंबर 547/3 रकबा 1.92 हैक्टर किस्म बारानी दोयम निजी खातेदार गंगा पत्नि पोकरराम वगैरा के नाम दर्ज है।
3. कि खसरा नंबर 547/4 रकबा 77.07 हैक्टर किस्म गै.मु. गोचर जो कि ग्राम पंचायत भीटवाडा के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त खसरे की तरमीम नामान्तरकरण की पुस्त पर नहीं की गई थी। वर्तमान में तहसील ऑन लाईन सेग्रीगेशन कार्यवाही के दौरान् खसरा नंबर 547 की तरमीमे की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस के पश्चात हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने उक्त आवेदन में खसरा नंबर 547 व खसरा नंबर 547/4 की किस्म परिवर्तन का अनुतोष चाहा गया है। विधिक प्रावधनो के अनुसार किस्म परिवर्तन के अधिकार राज्य सरकार में निहित है। धारा 136 के तहत किस्म परिवर्तन के आदेश नहीं दिये जा सकते। प्रकरण में यह भी स्वीकार्य तथ्य हैं कि नामान्तरकरण संख्या 70 स्वीकृत करते समय खसरा नंबर 547 के नक्शे में तरमीम नहीं की गई। इतना ही नहीं नामान्तरकरण की पुस्त पर भी खसरा नंबर 547 के बटा नंबरो का नजरी नक्शा नहीं बनाया गया। तथा अब सेग्रीगेशन के दौरान् नक्शे में की गई तरमीम को मौका स्थिति के विपरित बताते हुये खसरा नंबर 547/4 मेंसे 5.00 हैक्टर भू0 भाग पर प्रार्थी नरेशनाथ के आश्रम प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रही भूमि तथा इस पर बने मंदिर, गौशाला, आश्रम की धर्म शाला की भूमि को गोचर से विलोपित कर इसकी किस्म गै.मु. मगरा करते हुये नक्शे में तरमीम शुद्धि किये जाने की मांग की जा रही है। जबकि रिकार्ड से यह कही प्रमाणित नहीं हो रहा कि उक्त प्रकरण में सैटलमेंट से पुर्व अथवा गोचर घोषित के समय के रिकार्ड में खसरा नंबर 547 व इसके बटा नंबर व खसरा नंबर 547 की किस्म व नक्शे की स्थिति प्रार्थी के चाहे अनुसार दर्ज थी तथा कालान्तर में राजस्व रिकार्ड व नक्शे में मौका स्थिति के विपरित इन्द्राज कर दिया गया हो। प्रार्थी स्वयं सेग्रीगेशन के दौरान् नक्शे में की गई तरमीम को त्रुटिपुर्ण बताते है। बिना ठोस सबूत के ऑन लाईन कार्यवाही के दौरान् नक्शे में की गई तरमीम को दोषपुर्ण नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ ही प्रकरण में यह भी स्वीकार्य तथ्य है कि खसरा नंबर 547 अथवा इसके बटा नंबर 547/4 का खातेदार प्रार्थी नहीं रहा है, जिससे प्रार्थी श्री नरेशनाथ का उक्त प्रकरण में लोकस स्टेण्डाई भी नहीं है। **धारा 136 के प्रावधान केवल मात्र राजस्व अभिलेख में हुई लिपिकीय त्रुटिया (जो रिकार्ड से प्रमाणित हो) के सुधार को अनुमत करता है। धारा 136 के अंतर्गत खसरो की स्थिति में परिवर्तन करना, भूमि की किस्म परिवर्तन करना या ऐसी कोई भी प्रविष्टि करना जो स्पष्ट रूप से लिपिकीय त्रुटी की श्रेणी या धारा 136 के प्रावधानो में नहीं आती है। वह पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही की श्रेणी में आता है।** जबकि उक्त प्रकरण में तो प्रार्थी द्वारा स्पष्ट रूप से खसरों की स्थिति परिवर्तित करने तथा भूमि की किस्म परिवर्तन करने का अनुतोष चाहा है जो अनुतोष धारा 136 के तहत दिया जाना संभव नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

पेज लगातार...03

राजस्व विविध प्रकरण Gcms No. 2023/

अनवान श्री नरेशनाथ बाल योगी मुख्य व्यवस्थापक बनाम सरपंच ग्राम पंचायत भीटवाडा वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

इस सबंध में हाल ही में श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, पाली ने भी अपने पत्रांक एफ. 12(3) ( ) राजस्व/2023/944–963 दिनांक 17.03.2023 से भी धारा 136 के तहत निर्णय पारित करते समय इन प्रावधानो की अक्षरतः पालना किये जाने तथा धारा 136 की गलत व्याख्या न हो, इस हेतु सख्त निर्देश दिये गये है।

पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन एवं धारा 136 भूराजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानो व समय–समय पर जारी परिपत्र व निर्देशो में वर्णित दिशा निर्देशो के अध्ययन के पश्चात् प्रार्थी का उक्त प्रकरण में लोकस स्टेण्डाई नहीं होने तथा प्रकरण में दांतीवाडा के खसरा नंबर 547/4 मेंसे रकबा 5.00 हैक्टर की किस्म गोचर से परिवर्तन कर गै.मु. मगरा दर्ज करने तथा कमी रकबा की भरपाई किये जाने हेतु खसरा नंबर 547 मेंसे रकबा 5.00 हैक्टर किस्म गै.मु. गोचर दर्ज करते हुये नक्शे में तरमीम शद्धि की मांग की गई है। जबकि प्रथम तो गोचर की भूमि धारा 16 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रतिबंधित भूमि है तथा किस्म परिवर्तन के अधिकार राज्य सरकार में निहित है। धारा 136 के तहत केवल लिपिकीय त्रुटियो को ही शुद्ध करने के अधिकार है, **खसरो की स्थिति में परिवर्तन करना, भूमि की किस्म परिवर्तन करना या ऐसी कोई भी प्रविष्टि करना जो स्पष्ट रूप से लिपिकीय त्रुटी की श्रेणी या धारा 136 के प्रावधानो में नहीं आती है। वह पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही की श्रेणी में आता है।** लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 05-04-23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)